उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-82/2017/433 /92-2-2017-06(जांच)/2012
लखनऊ :: दिनांक:: 26 मई, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात के कार्यकाल के दौरान डा0 अम्बेडकर ग्राम लाड़पुर पैठ एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम कपासी कला में वर्ष 2011-12 में कराये गये अधोमानक सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय जांचोपरान्त 1:6:12 लीन कांक्रीट व 1:2:4 सीमेंट कांक्रीट के स्थलीय गुणवत्ता नियन्त्रण परीक्षण निर्धारित मात्रा में न किये जाने, साइन बोर्ड न लगाये जाने तथा खराब कान्स्ट्रक्शन ज्वांइट को ठीक न कराये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री आशाराम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर देहात (सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर) के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-82/ 2017/433(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्र सं0-4877/एस0टी0/जांच/सी0सी0 रोड/2012 दिनांक 15.02.2012 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर।
3- श्री आशाराम, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- कानपुर देहात (सम्प्रति प्रखण्ड-ललितपुर) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( बाबूराम )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in